

क्र०
दिनांक

पत्र-6

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम फूलियाबुर्द की
जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 175 में

मेब नाम आलमा पिं बामा दखिं प्रवकि आधार कडि
मे मेब सही नाम आलमा पिं बामालाल है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।
प्रार्थी

दिनांक:-

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम फूलियाबुर्द के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75
के खाता संख्या 175 में प्रार्थी का नाम आलमा बामा दर्ज है। जबकि मुताबिक आधार कडि
.....व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम आलमा बामालाल है। जो संशोधित किया
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान्की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0.....

पटवारी.....

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी फूलियाबुर्द भू0अ0नि0 2072 एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न
दस्तावेज के आधार पर ग्राम फूलियाबुर्द की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता संख्या
175 में प्रार्थी का नाम आलमा के बजाय आलमा बामालाल किये जाने हेतु अभिशंभा की जाती
है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्र.सं०-९४/2018

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018" दि० = 04-05-2018

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम - फूलियाबुर्द जमाबन्दी सं० 2072-75
खाता सं० - 175 में दर्ज प्रार्थी आलमा के पिता का नाम रामा के स्थान पर
आलमा के संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।



उपखण्ड अधिकारी एवं
शाहपुरा (भीलवाड़ा)
शाहपुरा (भीलवाडा)